धारा 137 : कम्पनियों द्वारा अपराध

(1) जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी का भारसाधक और उस कंपनी के कारबार के संचालन के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कराधेय व्यक्ति, जो कोई भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या कोई हिन्दू अविभक्त कंटुंब या कोई न्यास है, के द्वारा किया जाता है, वहां भागीदार या कर्ता या प्रबंधक, न्यासी को उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दोषी होंगे और ऐसे व्यक्तियों को उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने, ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ii) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।